

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)	
0110	अशासकीय विद्यालय को अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	250000000
0461	आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	100 *
0798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	140000000
1024	खजाना और लेखा प्रशासन	700000
1104	गलगंड रोग नियंत्रक	940000
1468	जिला एवं संभागीय स्तर	100 *
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना	40000000
1481	जिला प्रशासन	1000000
1483	जिला प्रशासन	1000000
1533	जिले प्रशासन	1000000
1826	डामरीकरण	279999700
2294	निर्देशन	1000000
2320	निर्देशन और प्रशासन	111500000
2407	निर्वाचन	60000
2449	न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत )	20000000
2450	न्याय प्रशासन	100 *
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	80000000
2631	पुलिस प्रशासन	500000
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	500 *
2898	बांध तथा संलग्न कार्य	100 *
2956	बिक्री कर	400000
3125	भू-राजस्व	500000
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	100 *
3287	मछुआ सहकारिता एवं मत्स्य विक्रय	2115000
3342	छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली	300000
3370	संचालनालय उद्योग	550000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	100 *
3555	मुख्यालय	1975000
3566	मुख्यालय स्थापना	100 *
3643	राज भवन	1000000
3658	राजस्व मण्डल	100000
3681	राज्य में जनपद सभाओं को हस्तांतरित की गई इमारतों की देख रेख हेतु अनुदान	150000
3692	राज्य विधान मण्डल	11500000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 1

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
3839	लेखन सामग्री और मुद्रण	500000
3859	लोक सेवा आयोग	2500000
4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां	100000000
4043	विमानन संचालनालय	50000000
4149	वृहद पुलों का निर्माण	100*
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	100*
4286	संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	100*
4332	सचिवालय सामान्य सेवा	1000
4544	सी. आई. डी. (इकानामिक आफेंसेस)	3000000
4574	सूचना तथा प्रकाशन(कार्यालय भवन का रखरखाव)	1500000
4608	स्टाम्प और पंजीयन	6400000
5061	एफ.एल.लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायो को अनुदान	160800000
5086	महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	100*
5169	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	168630000
5338	राज्य वित्त आयोग	7000000
5371	नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी	200*
5396	सर्वशिक्षा अभियान	300000000
5488	छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का गठन	8000000
5558	जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण	20000000
5601	बस्तर विकास प्राधिकरण	30000000
5602	सरगुजा / जशपुर विकास प्राधिकरण	20000000
5631	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	30000000
5918	सामान्य प्रशासन विभाग	3000000
6220	लोक निर्माण विभाग	21400000
6736	केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	2000000
6749	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	1500000
6800	अनुसूचित जाति आयोग का गठन	2500000
6931	छ.ग. राज्य कृषक कल्याण परिषद	100*
6933	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	57940000
7241	नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	100000000
7247	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	15000000
7260	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	239200000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 2

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)	
7267	एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना	41250000
7296	खेल अकादमी	100 *
7350	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	141300000
7361	सबला योजना	150000000
7403	कामधेनू पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय	100 *
7408	राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण	100 *
7495	अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	2000000
7553	विभागाध्यक्ष कार्यालय	100000
7610	स्वच्छ भारत अभियान	3000000000
7614	राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड	2000000
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	3500000000
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	599676000
7745	छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	400000000
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	8360000000
7810	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	3500000
7811	डॉयल 100/112	100000000
7813	ई.पी.सी.(नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	300 *
7814	नीलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	500 *
7815	उज्ज्वला परियोजना(केश)	200 *
7816	सूखा राहत चावल वितरण योजना	100 *
7818	ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	300 *
7819	युवा शक्ति योजना	100 *
7820	सड़क एवं पुल निर्माण	200 *
8036	आबकारी विभाग	2200000
8050	छात्रवृत्तियां	122335000
8403	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	5160000000
8631	शव वाहिका योजना	30000000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि	100 *
8726	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	100 *
8792	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	31000000
8892	छत्तीसगढ़ भाड.। नियंत्रण अधिकरण	2500000
8919	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	61974000
8939	चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	400000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 3

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	100*
<b>योग</b>		<b>28006999900</b>